



विज्ञापन क्रमांक 04/चयन/2012/31.12.2012

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इंदौर

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.01.2013

आयोग कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.02.2013

महत्वपूर्ण

1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2012 (दोपहर 12.00) से 30.01.2013 (रात्रि 12.00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं।
2. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 10.01.2013 से 01.02.2013 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
3. ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
4. विज्ञापन के संदर्भ में नवीन सूचनायें आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रसारित की जायेंगी। यद्यपि आयोग अपनी समस्त सूचनाओं को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करता है किंतु तल्काल सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना ही पर्याप्त होगी। आवेदक नवीन सूचनाओं हेतु आयोग की वेबसाइट का सतत अवलोकन करें।

एक - भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या			रिक्तियों में से वर्गवार मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद			अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता		
		अना.	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अ.पि.व.	अना.	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अ.पि.व.	
सहायक संचालक उद्यानिकी (Asstt. Director Horticulture)	07	03	01	01	02	02	01	01	01	उद्यानिकी विषय में कृषि स्नातकोत्तर Agriculture (Ag) Post Graduate in Horticulture

- टीप -** (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हताएं, अंतिम करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
(iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
(iv) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपर्युक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
(v) सहायक संचालक उद्यानिकी के पद हेतु सभी श्रेणी के निःशक्त आवेदक आवेदन करने के पात्र हैं किन्तु उक्त पद निःशक्त आवेदक चयनित नहीं हैं।

दो - पद का विवरण -

- (अ) पद का नाम : सहायक संचालक उद्यानिकी (Asstt. Director Horticulture)
(ब) विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
(स) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
(द) पद स्थिति : अस्थायी
(इ) वेतनमान : रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
(ज) अनिवार्य अर्हता : उद्यानिकी विषय में कृषि स्नातकोत्तर
Agriculture (Ag) Post Graduate in Horticulture
(फ) कर्तव्य : जिसे की उद्यानिकी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं जिला कार्यालय के कार्यालय प्रमुख के दायित्व का निर्वहन।

- तीन -** 1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवासी के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं, आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।
2. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

- चार - आयु सीमा -** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदकों हेतु - 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

पाँच - आयु संग्रन्था तिथि 01.01.2013 होगी।

- आयु सीमा में दी गई अन्य शूटों के लिये परिशिष्ट-1 देखें।
मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद् नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी।

- छ:** - **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता -**
अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु (पुरुष हेतु 21 वर्ष तथा महिला हेतु 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा।
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा।

- सात - महत्वपूर्ण -** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परिवेश में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अहं मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

आठ - अधिवार्षिकी आयु - 60 वर्ष

- नौ - चयन प्रक्रिया -** उपरोक्त पदों पर चयन आयोग के Rules Of Procedure में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार रहेगी :-

चयन साक्षात्कार के द्वारा होगा। आवश्यक शैक्षणिक अर्हतायें न्यूनतम हैं और इन अर्हताओं के होने मात्र से ही कोई आवेदक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जाने का हकदार नहीं होगा। यदि विज्ञापित पदों की संख्या के अनुपात में प्राप्त अर्ह आवेदन पत्रों की संख्या अधिक हो और आयोग के लिये सभी आवेदकों का साक्षात्कार करना व्यवहारिक नहीं हो तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य अर्हता की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के छ: गुना तथा समान अंक पाने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर चयन सूची घोषित की जायेगी। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस - आवेदन प्रक्रिया - उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएं। आवेदक विवरण के लिये आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का अवलोकन करें।

ग्यारह - आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते पर ही आयोग द्वारा समस्त पत्र-व्यवहार किया ज

<p>सचिव</p>	
-------------	--